संख्याः 1251/XVII(2)/2010/203/05

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 12 मई, 2011

विषयः आई0सी0डी0एस0 के तृतीय चरण के विस्तारीकरण योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3398/आंगनबाड़ी स्थापना–944 (2)/2010–11 दिनांक 23–12–2010 एवं शासनादेश संख्या 257/XVII(2)/2009 दिनांक 03–02–2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0सी0डी0एस0 के विस्तारीकरण योजनान्तर्गत संलग्नक के स्तम्भ– 10 के अनुसार तृतीय चरण के 128 आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा स्तम्भ– 11 के अनुसार द्वितीय चरण के 517 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों का पुनर्वितरण करने एवं स्तम्भ– 12 व 13 के अनुसार क्रमशः नवीन 620 आंगनबाड़ी केन्द्रों व 799 मिनी केन्द्रों की स्थापना तथा उनमें मुख्य सेविकाओं के 24 नियमित अस्थाई पदों के सृजन एवं 2039 अस्थाई मानदेय पदों (620 आंगनबाड़ी कार्यकत्री, 620 आंगनबाड़ी सहायिका तथा 799 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री) को दिनांक 28 फरवरी 2011 तक स्वीकृत किये जाने की बशर्ते कि इससे पूर्व इन्हें बगैर किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के निम्न अनुदान संख्याओं तथा लेखा शीर्षकों की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा–

(अ) अनुदान संख्या– 15 के लेखा शीर्षक 2235– सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण–02–समाज कल्याण–102–बाल कल्याण–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें।
(ब) अनुदान संख्या– 15 के लेखा शीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण–02–समाज कल्याण–102–बाल कल्याण–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0102–समन्वित बाल विकास योजना (90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता)
(स) अनुदान संख्या– 30 के लेखा शीर्षक 2235– सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण–02–समाज कल्याण–102–बाल कल्याण–02–अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–0203–समन्वित बाल विकास योजना (90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता)
(द) अनुदान संख्या– 31 के लेखा शीर्षक 2235– सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण–02–समाज कल्याण –796– जनजातिय क्षेत्र उपयोजना –04– समन्वित बाल विकास

परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाला पोषाहार (90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता)

3. भारत सरकार द्वारा निर्धारित आंगनबाड़ी एवं मिनी केन्द्रों की स्थापना के जनसंख्या–मानक के अनुसार समस्त ग्रामीण परियोजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र को आच्छादित करने के पश्चात निकटवर्ती नगरीय क्षेत्र में अनु0 जाति, अनु0 जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय बाहुल्य क्षेत्रों एवं मलिन एवं अन्य बस्तियों को आच्छादित किया जायेगा।

4. संलग्नक तालिका के अनुसार प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं एक सहायिका तथा मिनी केन्द्रों में एक मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री को नियत मानदेय पर रखा जायेगा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री को भारत सरकार द्वारा अनुमन्य नियत मानदेय ही देय होगा।

5. इस आदेश के आधार पर पूर्व की स्वीकृतियों एवं समायोजन को सम्मिलित कर जनपदवार कुल आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या संलग्नक के स्तम्भ–16 व 17 के अनुसार होगी।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या 15 (P)/XXVII(3)/11-12 दिनांक 04–05–2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
सचिव

संख्याः 1251 (1)/**XVII(4)/2010**/तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त गढवाल मण्डल पौड़ी/ कुमायूं मण्डल नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव